

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

(17)

प्रेस नोट

राज्य के दिव्यांग युवा एवं युवतियों को स्वरोजगार/उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अंतर्गत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।



(बन्धना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग



Cabinet Decisions 26.08.2025

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना



समाज कल्याण विभाग

राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमिता / स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अंतर्गत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" प्रारंभ करने एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के संचालन हेतु राशि रु० 10,25,00,000/- (दस करोड़ पच्चीस लाख) की व्यय की स्वीकृति।